10-5-2022

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी विजय विश्नोई पुत्र ठाकराराम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– काथलियावाडा, मांडावास, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव दूध भण्डार सलोदरिया वास, छावणी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से वकील श्री जयकिशन विश्नोई ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी विजय विश्नोई ने जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। ......लगातार

विजय

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:49 IST
Reason: SelfAttested

| हुक्म तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जंज<br>F.S.S.Act Case No.13/2022 | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

प्रतिवादी विजय विश्नोई द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में कोई साक्ष्य ली जाना उचित नही होने से प्रतिवादी के वकील की आज ही बहस सुनी गई। जिन्होनें बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी विजय विश्नोई की दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.8.2021 को दूध का नमूना जांच हेतु लिया था, जो जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। यह कि प्रतिवादी आस–पास के गांवों के पशुपालकों से दूध क्रय कर दूध विक्रय करता है। प्रतिवादी ने दूध में कोई मिलावट नही की है। दूध में केवल फेट की मात्रा कम पाई गई है। प्रतिवादी द्वारा जांच हेतु विक्रय किया गया दूध स्वास्थ्य के लिये हानिकारक या असुरक्षित नही पाया गया है। प्रतिवादी गरीब व्यक्ति है एवं उसकी दुकान भी छोटी है। प्रतिवादी ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.8.2021 को समय 2.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मैसर्स महादेव दूध भण्डार, सलोदरिया वास, छावणी, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी विजय विश्नोई पुत्र ठाकराराम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– काथलियावाड़ा, मांडावास, जिला– पाली उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता विजय विश्नोई को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता विजय विश्नोई की डेयरी के डीप फ्रिज के चेम्बर में बिक्री हेतु मौजूद मिक्स्ड मिल्क लगभग 30 लीटर को अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एकरुप किये हुए मिक्स्ड मिल्क में से 2 लीटर मिक्स्ड मिल्क जांच हेतु एक साफ सूखे व खाली भिगोनें में खरी[illegible] 80/– रुपये (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) वि[illegible] वि[illegible] विश्नोई को नकद अदा कर खरी[illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार [illegible] लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

| हुक्म तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>F.S.S.Act Case No.13/2022 | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | कोड एवं क्रमांक S-1455, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क को चारों अलग अलग साफ सूखी व खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना शीशी में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर शीशीयों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1455 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पेंहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 17.8.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 16.8.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म महोदव दूध भण्डार, सलोदरिया वास, छावणी, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता विजय विश्[illegible] मिल्क को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 [illegible]स्ते नमूना जांच क्रय करने की विधि[illegible] का एक भाग मय फार्म [illegible] 6 के [illegible] लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया [illegible] प्रकरण में खाद्य<br>......लगातार | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:49 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

| हुक्म तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>F.S.S.Act Case No.13/2022 | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क के नमूना संख्या S-1455 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./457/Act/2021/555 दिनांक 19.8.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का नमूना संख्या S-1455 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी विजय विश्नोई पुत्र श्री ठाकराराम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– काथलियावाडा, मांडावास, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव दूध भण्डार, सलोदरिया वास, छावणी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।<br><br>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी विजय विश्नोई पुत्र श्री ठाकराराम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– काथलियावाडा, मांडावास, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव दूध भण्डार, सलोदरिया वास, छावणी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी विजय विश्नोई पुत्र श्री ठाकराराम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– काथलियावाडा, मांडावास, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव दूध भण्डार, सलोदरिया वास, छावणी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक [illegible]2022 को पेश हो।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Kalu Ram Khod<br>Date: 2022.06.06 18:14:49 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(के.आर.खौड़)<br>अति. जिला मजिस्ट्रेट,<br>सिरोही | |